न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील / रसद / 08 / 2024

बच्चू सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत नेताबा तहसील भुसावर जिला भरतपुर
......अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर
.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 15.5.2024 व मुकदमा सरकार बनाम बच्चूसिंह नं. 70 / 19 अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उपस्थितः—

1—श्री पंकज कुमार अभिभाषक अपीलान्ट,

2—प्रवर्तन अधिकारी,पैरोकार रसद,

**निर्णय** **दिनांक 16.10.2024**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 15.5.2024 के खिलाफ पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.5.2024 में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र को निरस्त किया जाकर जमा शुदा प्रतिभूति राशि को जप्त किये जाने की आज्ञा पारित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पो0 एवं पत्रावली तहत तलब की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि जॉच अधिकारी ने वक्त जांच मोके पर अपीलान्ट की दुकान से कोई अतिरिक्त खाद्यान्न का स्टाक जप्त नहीं किया गया है। भविष्य की आंशकाओं के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय ने जिन राशनकार्डो को आधार बनाकर अपीलान्ट के विरुद्धकार्यवाही की गई उनको भी राशन का वितरण किया गया है। गेंहू नहीं मिलने की कोई शिकायत आनलाईन नहीं की गई है। तीन उपभोक्ताओं ने गेंहू प्राप्त करने के

...........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

बयान दिये हैं जिनकी प्रति पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण में किसी प्रकार का कोई गबन नहीं किया गया है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि अपीलान्ट के खिलाफ जो शिकायत की गई है वह राजनैतिक के तहत की गई है , अपीलान्ट के भाई ने सरपंच का चुनाव लड़ने के कारण वर्तमान सरपंच ने यह शिकायत कराई गई है। अपीलान्ट ने कोई गबन नहीं किया है, गेंहू का सभी उपभोक्ताओं को गेंहू का वितरण किया गया है। तहत न्यायालय ने इस पर कोई विचार नहीं किया गया । अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

पेशेकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर के खिलाफ शिकायत की जांच दिनांक 29.9.2019 को की गई। जांच में पाया गया कि अपीलान्ट डीलर द्वारा माह जुलाई व अगस्त 2019 का खाद्य सुरक्षा योजना के गेंहू का वितरण प्रतिमाह नहीं कर दोनों माह का एक साथ वितरण कराना पाया गया, वक्त जांच 26 राशनकार्डों की जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि उपभोक्ताओं को केवल एक माह का गेंहू ही दिया गया है। इस प्रकार 26 राशनकार्डों पर 6.55 क्विंट गेंहू का दुरुपयोग पाया गया है। विभागीय प्रकरण दर्ज कर, अपीलान्ट डीलर के खिलाफ एफ. आई.आर. संख्या 200 / 2019 दर्ज कराई गई। पूर्व में भी तहत न्यायालय द्वारा प्राधिकार पत्र का निरस्त किया गया था, जिसकी अपील श्रीमान के यहाँ पेश की गई थी, श्रीमान न्यायालय के निर्णय दिनांक 3.3.2021 से अपील आंशिक स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु जिला रसद अधिकारी को रिमान्ड की गई, पुनः अपीलान्ट को अपने पक्ष में साक्ष्य सबूत वगै. पेश कर सुनवाई हेतु अवसर दिये गये जिसमें अपीलान्ट की ओर से न्यायालय सिविल न्यायाधीश वैर में विचाराधीन मुकदमें में पेश हुये तीन गवाह बयान की प्रमाणित प्रतियाँ पेश की गई है। अपीलान्ट डीलर के खिलाफ शिकायत जांच में 26 राशनकार्डों धारकों से पूछताछ की गई थी, सभी उपभोक्ताओं ने माह जुलाई व अगस्त 2019 के दोनों माह में से केवल एक माह का गेंहू ही प्राप्त करना बताया था। तहत न्यायालय ने विस्तृत विवेचन करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया । योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पेशेकार रसद के कथनों पर गौर किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से जाहिर की अपीलान्ट डीलर के खिलाफ निम्न आरोप लगाये गये हैं –डीलर द्वारा माह जुलाई व अगस्त 2019 का खाद्य सुरक्षा योजना के गेंहू का वितरण प्रतिमाह नहीं कर पोष मशीन पर दो बार बायोमैट्रिक सत्यापन कर केवल एक माह का खाद्य सुरक्षा गेंहू का वितरण

.....3

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

जिला कलक्टर
भरतपुर

किया जाना पाया गया, परन्तु 26 उपभोक्ताओं के राशनकार्ड की जांच एवं पूछताछ में स्पष्ट आया कि डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को केवल एक माह का गेंहू वितरण कर उक्त 6.55 क्वि. गेंहू का दुरुपयोग किया गया है।

अपीलान्ट का अपील की मद नम्बर 2 में यह कथन किया है कि वक्त जांच मौके पर अपीलान्ट के पास कोई अतिरिक्त खाद्यान्न स्टॉक जप्त नहीं किया है, आधारकार्डों के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। सभी उपभोक्ताओं को राशन वितरण किया है, किसी भी उपभोक्ता की राशन नहीं मिलने की कोई शिकायत नहीं है।

अपीलान्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि अपीलान्ट ने सिवाय जुबानी कथनों के ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्ट डीलर ने सभी 26 उपभोक्ताओं को दो माह का खाद्यान्न वितरण किया गया हो। तहत पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका दिनांक 29.9.19 में डीलर के खिलाफ शिकायत जांच में प्रवर्तन निरीक्षक ने उपभोक्ताओ को बुलाकर उनके राशन कार्ड की जांच की गई है। फर्द मोका रिपोर्ट में अंकित किया है कि "______मौके पर उपस्थित राशनकार्ड धारक उपभोक्ताओं ने राशन कार्ड पस्तुत कर अवगत कराया कि उचित मूल्य दुकानदार श्री बच्चूसिंह ने माह जुलाई 2019 के खाद्य सुरक्षा गेंहू का वितरण माह अगस्त में किया तथा पोस मशीन पर बायोमैट्रिक सत्यापन हेतु दो बार माह जुलाई व अगस्त 2019 हेतु अंगूठा लगवा लिया तथा केवल एक माह का खाद्य सुरक्षा गेंहू दिया था तथा राशनकार्डों में एक माह के वितरण का ही इन्द्राजज किया है तथा एक माह के लिये सही का निशान राशन कार्ड में लगा दिया ______ जांचे गये रशनकार्ड धारक उपभोक्ताओं ने यह भी बताया कि राशन डीलर ने वितरण के वक्त केवल एक माह का गेहू दिया दो बार अंगूठा लगवाया तथा कहा कि एक माह का गेंहू बाद में ले जाना______।" उक्त फर्द मौका में उन 26 उपभोक्ताओं के नाम एवं राशनकार्ड नम्बर दर्ज हैं जिनसे पूछताछ की गई। फर्द मोका रिपोर्ट पर उपस्थित मौतविरान के साथ सरंपच ग्रांम पंचायत नैवाडा प.स. वैर के हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस प्रकार अपीलान्ट ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थीयों को केवल एक माह को गेहूं ही वितरण किया गया तथा दो माह के गेहूं का इन्दाज उनके राशन कार्डो में किया जाकर करीब 6.55 क्विंट गेहूं का गबन किया गया है।

जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा माह जुलाई एवं अगस्त 2019 दो माह का खाद्य सुरक्षा के गेहू का वितरण सम्बन्धित उपभोक्ताओं को पोस मशीन पर दो बार सत्यापन कराकर केवल उपभोक्ताओ को एक माह का हीखाद्यान्न दिया गया है।

..........4

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की मदद के लिये खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है जिसके तहत डीलर को खाद्य सुरक्षा में आने वाले गरीब परिवारों को प्रत्येक माह खाद्यान्न का वितरण करना होता है, जिससे राज्य सरकार की इस योजना का लाभ गरीब परिवार को मिल सके। परन्तु यहॉ तो अपीलान्ट डीलर ने राज्य सरकार चलाई जा रही खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से सम्बन्धित उपभोक्ताओं को वंचित कर अपनी मर्जी के हिसाब से दो माह बाद करीब 26 उपभोक्ताओं (खाद्य सुरक्षा में आने वाले परिवारों का) दो माह का सत्यापन पोस मशीन पर दर्ज किया जाकर उन्हें केवल एक माह का ही गेंहू का वितरण किया गया है। इस प्रकार डीलर अपीलान्ट द्वारा राज सरकार द्वारा गरीब परिवारों के हित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजना का लाभ सम्बन्धित उपभोक्ताओं का समय (प्रत्येक माह) नहीं दिये जाने से इस योजना का उद्देश्य ही समाप्त जावेगा। यहॉ अपीलान्ट द्वारा दो माह बाद खाद्यान्न का वितरण किया गया है, परन्तु दो माह खाद्यान्न वितरण के स्थान पर केवल एक माह का ही खाद्यान्न उपभोक्ताओं को वितरण किया। अपीलान्ट का यह कृत्य नियमों के खिलाफ है। इस0 प्रकार अपीलान्ट डीलर ने 6.55 क्विटंल गेंहू का गबन किया जाना स्पष्ट है।

अपीलान्ट डीलर का यह कहना कि न्यायालय अतिरिक्त मजिस्ट्रेट भरतपुर के समक्ष दिये गये तीन गवाह के बयान की प्रति पेश की है जिसमें इन्होने गेंहू प्राप्त करना स्वीकार किया है। विचाराधीन प्रकरण में 26 उपभोक्ताओं द्वारा केवल एक माह का खाद्यान्न प्राप्त करना बताया है। अपीलान्ट ने सिवाय जुबानी कथनों के तहत न्यायालय में भी किसी उपभोक्ता के बयान वगे0 नही कराये गये हैं। अपीलान्ट के खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 291/2019 के सम्बन्ध में माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वैर के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।
निर्णय आज दिनांक 16–10–2024 को सुनाया गया।

( डॉ. अमित यादव )
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)